

समाहरणालय - धनबाद
जिला भू-अर्जन शाखा

अधिसूचना संख्या-944/भूअर्जन, धनबाद, दिनांक-7/11/2017

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत महुदा - सिन्दरी - जामाडोभा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु धनबाद जिला अन्तर्गत बाघमारा, झरिया एवं धनबाद में समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-741/भूअर्जन दिनांक 01.09.2017 के द्वारा समाजिक समाघात SARDA, Sarda Bhawan, Chhotki Murrām, Ramgarh Cantt. Dist. Ramgarh (Jharkhand) Pin-829122 Email : sardagroups@rediffmail. Com Mob. 9431146893 को एस0आई0ए0 दल के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतः महुदा - सिन्दरी - जामाडोभा पथ चौड़ीकरण परियोजना हेतु कुल रकबा 83.909 एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

1- परियोजना का नाम :-

महुदा - सिन्दरी - जामाडोभा पथ चौड़ीकरण परियोजना

2- भूमि का विवरण :-

क्र0 सं0	मौजा का नाम	प्लॉटो की संख्या	अधियाचित रकबा (हेक्टेयर में)	प्रखण्ड का नाम
1.	तेतुलिया	33	2.080	बाघमारा
2.	कछुआडि	29	1.000	बाघमारा
3.	जोड़ापोखर	5	0.580	झरिया
4.	बारकी	35	5.832	बाघमारा
5.	मुरुलीडि	6	2.480	बाघमारा
6.	नुनिकडीह	38	4.150	झरिया
7.	बगड़ा	31	7.450	बाघमारा
8.	भवरदहा	65	4.070	बाघमारा
9.	महुदा	47	5.820	बाघमारा
10.	जरमा	2	0.400	धनबाद
11.	पेटिया	122	9.000	धनबाद
12.	नगदा	45	6.173	बाघमारा
13.	मधुडी	4	1.836	बाघमारा
14.	बोलाखोंदा	4	1.391	बाघमारा

15.	माटडि	10	1.527	बाघमारा
16.	सिंगड़ा	16	8.599	बाघमारा
17.	जटुडीह	7	3.929	बाघमारा
18.	गनसाडीह	3	1.577	बाघमारा
19.	पारजुड़िया	64	7.821	बाघमारा
20.	नुतनडिह	4	1.972	बाघमारा
21.	कुन्जी	16	6.222	बाघमारा
कुल		586	83.909	

3- एस0आई0ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप निम्न प्रकार होगी :-

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) दल को झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के अध्याय-III के नियम-10 के अन्तर्गत दिये गये सभी दायित्वों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी होगी , मुख्य रूप से निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-

- (क) प्रस्तावित परियोजना जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगी ।
- (ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति,
- (ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि अपेक्षित का केवल न्यूनतम है,
- (घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता,
- (ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है, और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है,
- (च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्य संक्रांत पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग नियम हो,
- (छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना है,
- (ज) भूमि की प्रकृति , भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है, तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न,
- (झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की बावत विशेष उपबंध,
- (त्र) घृतियों का आकर, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या निजी एवं सार्वजनिक आधारभूत संरचना तथा परिसम्पत्तियों,

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग, इसी प्रक्रिया के साथ-साथ रैयतों के भू-अर्जन के प्रस्ताव विमर्श की कार्रवाई की जानी है ।

4- एस0आई0ए0 के लिए टाईमलाईन निम्न प्रकार होगी :-

- (क) अर्जनाधीन क्षेत्र का दौरा एवं रैयतों से सम्पर्क स्थापित करना,
(ख) परियोजना से प्रभावित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों को सूचीबद्ध करना,
(ग) समाजिक प्रभाव का मूल्यांकन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन एवं एस0आई0एम0पी0 पर रैयतों की सुनवाई ,
(घ) एस0आई0ए0 एवं एस0आई0एम0पी0 प्रतिवेदन समर्पित करना,
(ङ) एस0आई0ए0 से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन,

कंडिका-4 (क) से (ङ) पर अंकित कार्यों का निष्पादन कार्यादेश प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित करेंगे । उपरोक्त टाईम लाईन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से गणना की जायेगी,

5- इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा ।

जिला भू-अर्जन अधिकारी
धनबाद

अपर समाहर्ता
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद

ज्ञापांक-344/भू0अर्जन, धनबाद / दिनांक 7/11/2017

प्रतिलिपि :-

अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद / अंचल अधिकारी, बाघमारा, धनबाद, झरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे । वेब मैनेजर-सह-अपर समाहर्ता, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त अधिसूचना एन0आई0सी0, धनबाद के वेब-साईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय ।

जिला भू-अर्जन अधिकारी
धनबाद

अपर समाहर्ता
धनबाद

उपायुक्त, धनबाद